न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / विविध / रा.का.अधि. / 02 / 2021 / बाड़मेर

अपीलांट

1. हीराराम पुत्र अन्नाराम उम्र 35 वर्ष जाति मेघवाल निवासी धौरीमन्ना तहसील धौरीमन्ना जिला बाड़मेर(राज.)

रेस्पोडेंटगण

बनाम 1.लाधूराम पुत्र हेमाराम
2.आईदानराम पुत्र हीराराम
3.सोनाराम पुत्र हीराराम
4.चुतराराम पुत्र हीराराम जाति विश्नोई निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
5.खेराजराम पुत्र अन्नाराम
6.दानाराम पुत्र अन्नाराम
7.भंवराराम पुत्र अन्नाराम
8.नरसीराम पुत्र अन्नाराम
9.मोगाराम पुत्र बंधाराम
10.दमाराम पुत्र बंधाराम
11.नागजी पुत्र ईसराराम
12.छगनाराम पुत्र ईसराराम
13.गोरधनराम पुत्र ईसराराम जाति मेघवाल निवाासी धौरीमन्ना जिला बाड़मेर
14.सुखदेव पुत्र हीराराम
15.एलसी बेवा हीराराम
16.हरीराम पुत्र रामूराम
17.रामजीवण पुत्र रामूराम
18.बाबूलाल पुत्र हीराराम
19.भगवानराम पुत्र भींयाराम
20.अशोक पुत्र केसरीमल जाति विश्नोई निवासी धोरीमन्ना जिला बाड़मेर
21.तहसीलदार धौरीमन्ना

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सपठित आदेश 47 नियम 01 सी पी सी व धारा 229 रा का अधि वास्ते प्रार्थना–पत्र संख्या 143 / 2014 बअनवान आईदान वगै. बनाम खेराजराम वगै. में न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 73 / 2015 बअनवान लाधूराम बनाम आईदानराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 के विरूद्ध पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी, श्री देवाराम चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री ओमप्रकाश विश्नोई रेस्पोडेण्ट संख्या 02 से 04 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः– 25.08.2021

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विप्रार्थी संख्या 02 से 04 व 14 से 20 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम धोरीमन्ना के खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा भूमि आई हुई है जिससे लगता प्रार्थी, विप्रार्थी संख्या 05 से 13 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 367 रकबा 17.18 बीघा और विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 368/2 रकबा 36.02 बीघा आया हुआ है जो खेत सड़क के मध्य पड़ते है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थी संख्या 05 से 13 के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त प्रचलित रास्ता प्राप्त करने हेतु इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जो दिनांक 15.07.2015 को निर्णित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश हुई जो दिनांक 11.12.2019 को निर्णित हुई। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र एवं अपील में प्रार्थी हीराराम रिकॉर्डेड खातेदार था जिसको आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। जबकि ग्राम धोरीमन्ना के खसरा संख्या 367 रकबा 17.18 बीघा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 05 से 13 की संयुक्त खातेदारी की है। उपरोक्त आवेदन में प्रस्तावित रास्ते की भूमि की मांग की है जो करीबन 40 वर्ष पूर्व बहामी बंटवाड़े में प्रार्थी के बंट में आई भूमि मे से ही निकलता है जिस पर प्रार्थी का पीढीयो से कब्जा व काश्त है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने जानबूझकर न्यायालय व प्रार्थी को धोखे मे रखते हुए प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया है जबकि जमाबंदी और मौका रिपोर्ट में उपरोक्त खसरा संख्या 367 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना बताया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपील अपीलांट को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन निर्णयों को निरस्त फरमाया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विप्रार्थी संख्या 02 से 04 व 14 से 20 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम धोरीमन्ना के खसरा संख्या 369 रकबा 31.02 बीघा भूमि आई हुई है जिससे लगता प्रार्थी, विप्रार्थी संख्या 05 से 13 की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 367 रकबा 17.18 बीघा और विप्रार्थी संख्या 01 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 368/2 रकबा 36.02 बीघा आया हुआ है जो खेत सड़क के मध्य पड़ते है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 को सड़क तक पहुंचने

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

के लिए विप्रार्थी संख्या 05 से 13 के उक्त खेत में से चलने वाले कदीमी प्रचलित रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। उक्त प्रचलित रास्ता प्राप्त करने हेतु इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश हुआ। जो दिनांक 15.07.2015 को निर्णित कर दिया गया। जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश हुई जो दिनांक 11.12.2019 को निर्णित हुई। उपरोक्त प्रार्थना–पत्र एवं अपील में प्रार्थी हीराराम रिकॉर्डेड खातेदार था जिसको आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। जबकि ग्राम धोरीमन्ना के खसरा संख्या 367 रकबा 17.18 बीघा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 05 से 13 की संयुक्त खातेदारी की है। उपरोक्त आवेदन में प्रस्तावित रास्ते की भूमि की मांग की है जो करीवन 40 वर्ष पूर्व बहामी बंटवाड़े में प्रार्थी के बंट में आई भूमि मे से ही निकलता है जिस पर प्रार्थी का पीढीयो से कब्जा व काश्त है। विप्रार्थी संख्या 02 से 04 ने जानबूझकर न्यायालय व प्रार्थी को धोखे मे रखते हुए प्रार्थी को पक्षकार नही बनाया है जबकि जमाबंदी और मौका रिपोर्ट में उपरोक्त खसरा संख्या 367 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज होना बताया है। प्रार्थी को पक्षकार बनाते तो उपरोक्त दोनो न्यायालय द्वारा प्रार्थी की भूमि मे से प्रस्तावित रास्ता नहीं निकाला जाता और उपरोक्त दोनो न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय प्रार्थी के विरूद्ध नहीं होते क्योंकि मौके पर वैकल्पिक रास्ता के रूप में खसरा संख्या 370/07 और 370/18 दोनो रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में राज. सरकार के नाम दर्ज है जिन तथ्यों को छुपाकर मौका रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं वास्तविकता से परे जाकर पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर माननीय न्यायालय का निर्णय एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे। अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

CCC 2019(3) Page 267

RRT 2018(1) Page 426

AIR 1994 SC Page 853

DNJ 2018 SC Page 221

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं माननीय न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। रास्ता रेस्पोडेंट की आत्यांतिक आवश्यकता है जिसे दिया जाना न्यायोचित है। रेस्पोडेंट के पास किसी प्रकार का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। विप्रार्थीगण 05 से 13 व प्रार्थी का संयुक्त हिस्सा पूर्ण रूप से प्रमाणित है कोई बाहमी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जो प्रार्थी के खसरे की गुगल मेप से पूर्णतया प्रमाणित है जहां कोई आवास या वाहमी बंटवाड़ नजर नहीं आ रहा है। जबकि मौके पर रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा है। लिपिकिय भूल के आधार पर राजस्व आवेदन में प्रार्थी का नाम छुटने की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही थी तथा प्रार्थी मौका रिपोर्ट के समय भी मौके पर हाजिर था तथा प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 05 से 13 ने उक्त रास्ते को निकालने हेतु पूर्ण सहमति दी गई। अपीलांट येन केन प्रकारेण तंग करने के लिए हस्तगत आवेदन पेश किया गया। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

सर्वप्रथम धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर आदेश पारित किया जाना न्यायोचित है। अपीलांट अधिवक्ता ने धारा 05 प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि हस्तगत प्रार्थना–पत्र में अपीलांट को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया जबकि अपीलांट/प्रार्थी आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकार है। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट द्वारा उपरोक्त निर्णयों की नकले दिनांक 18.06.2021 को मांगी जो नकले उसी दिन मिलने तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश किया गया। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

रेस्पोडेंट अधिवक्ता ने धारा 05 पर बहस करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा हस्तगत आवेदन मियाद बाहर पेश किया गया। धारा 05 में बताया आधार बिल्कुल ही आधारहीन होने से स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उक्त स्थान पर रास्ता वर्षों से चल रहा है तथा विप्रार्थीगण 05 से 13 व प्रार्थी का संयुक्त हिस्सा पूर्ण रूप से प्रमाणित है कोई बाहमी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जो प्रार्थी के खसरे की गुगल मेप से पूर्णतया प्रमाणित है जहां कोई आवास या वाहमी बंटवाड़ नजर नहीं आ रहा है। जबकि मौके पर रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा है। लिपिकिय भूल के आधार पर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व आवेदन में प्रार्थी का नाम छुटने की जानकारी प्रार्थी को शुरू से ही थी सुदीर्घ अवधि बाद पेश अपील को मियाद के बिंदु पर खारिज फरमाया जावे।

धारा 05 परिसीमा अधिनियम प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों मनन करने पर न्यायालय का निष्कर्ष है कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा के समक्ष पेश अपील में पक्षकार के रूप संयोजित नहीं किया गया। अपीलाधीन दोनो आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर निस्तारण करने की बजाय गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायोचित है। अतः अपीलांट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं न्यायालय हाजा के समक्ष पेश अपील में प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया गया। अपीलाधीन दोनों आदेश प्रार्थी/अपीलांट की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार है तथा खातेदार होने से उक्त अपील एवं प्रार्थना–पत्र में हितबद्ध एवं पिड़ित पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया। अधीनस्थ न्यायाल एवं न्यायालय हाजा के पूर्व में निर्णय पारित करते वक्त प्रार्थी/अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित नहीं किया गया। अपीलांट द्वारा मौके पर वैकल्पिक रास्ता के रूप में खसरा संख्या 370/07 और 370/18 दोनो रास्ते राजस्व रिकॉर्ड में राज. सरकार के नाम दर्ज है जो राजस्व रिकॉर्ड से प्रमाणित है। अपनी सुविधा के लिए नवीन रास्ता दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा पेश न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हबहू चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा प्रार्थना–पत्र संख्या 143/2014 बअनवान आईदान वगै. बनाम खेराजराम वगै. में न्यायालय श्री उपखण्ड अधिकारी धौरीमन्ना के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 एवं उसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा अपील संख्या 73/2015 बअनवान लाधूराम बनाम आईदानराम वगै. में पारित निर्णय दिनांक 11.12.2019 उपरोक्त दोनों आदेशों को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/प्रार्थी को पक्षकार के रूप में संयाजित किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए वैकल्पिक रास्ते (कटाणी मार्ग) को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण को अपनी जोत तक आने जाने हेतु निकटतम एवं लघुतम कटाण सरकारी मार्ग का विवेचन किया जाकर तीन माह में विधि सम्मत निर्णय पारित करे। तहसीलदार धौरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.07.2015 की पालना में भरा नामांतरणकरण खारिज कर राजस्व रिकॉर्ड में पुरानी स्थति बहाल करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु दिनांक 04.10.2021 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर